# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

(वित्त–पेंशन अनुभाग)

क्रमांकः– मुख्या/वित्त/पेंशन/2016/3401 दिनांकः– 27.09.2016

## कार्यालय आदेश

श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के आदेश क्रमांक मु0/वित्त/पेंशन/2012/3809 दिनांक 14.08.2012 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दिनांक 01.01.2012 एंव इसके पश्चात नवनियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर नवीन पेंशन योजना 2004 (New Contributory Pension Scheme, 2004) प्रभावी की गयी थी।

राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग के संयुक्त शासन सचिव, परिवहन के पत्र क्रमांकः– प.12(8)परि/2011 जयपुर दिनांक 06.06.2016 के निर्देशानुसार वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प13(1) वित्त/नियम/2003/जयपुर दिनांक 07.09.2006 के बिन्दु संख्या (1) के अनुसार दिनांक 01.01.2004 से पूर्व अथवा पश्चात गठित राजकीय उपक्रमों, समितियों, आयोगों, विश्वविद्यालयों (स्वशासी निकायों) इत्यादि जहां कर्मचारी भविष्य निधि एंव अन्य प्रावधान एक्ट, 1954( Employees Provident Fund & Misc Provisions Act,1954) लागू है, वहां नवीन पेंशन योजना लागू नहीं होगी। इस प्रकरण में प्रस्ताव संख्या– 09/271/16 निगम संचालक मण्डल की 271 वीं सभा दिनांक 06.09.2016 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिस पर निम्नलिखित निर्णय अभिलिखित किया गया। निर्णय संख्या–33/2016, निगम में 01.01.2012 और उसके पश्चात नियुक्त होने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों पर लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme 2004) को हटा कर Contributory Provident Fund लागू करने के संबंध में, प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या–33/2016 दिनांक 06.09.2016 की पालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दिनांक 01.01.2012 एंव इसके पश्चात सीधी भर्ती में नवनियुक्त होने वाले अधिकारियों एंव कर्मचारियों पर नवीन पेंशन योजना, 2004 (N.P.S 2004) के स्थान पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (CPF) विनियम, 1964 तथा संशोधित विनियम 2008 प्रभावी किया जाता है।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या/वित्त/पेंशन/2016/3401 दिनांकः 27.09.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजि सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
02. निजि सचिव, माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
03. निजि सहायक, माननीय वित्तीय सलाहकार राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
04. कार्यकारी निदेशक (          ) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
05. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
06. उप महा प्रबन्धक (          ) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
07. निगम सचिव, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
08. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, केन्द्रीय कार्यशाला, रा रा प प नि....................।
09. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रा रा प प नि..............................।
10. सहायक लेखाधिकारी (          ) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।
12. DGM (I.T.) H.O. JAIPUR

(परमेश्वरी चौधरी)
वित्तीय सलाहकार